BEFORE DR. GITA RAWAT, JOINT SECRETARY & FIRST APPELLATE AUTHORITY
(Under Section 19 of RTI Act, 2005)
MINISTRY OF LAW & JUSTICE: DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS
ROOM NO. 408, 'A' WING, SHASTRI BHAWAN, NEW DELHI 110001
****

Date: 29.05.2014.

Appeal No.21(273)/2014-IC

In the matter of

Shri Shishir Awasthi,
Advocate,
House No. 68/317, Chitwapur Pajava,
Lucknow (U.P.) — Appellant

Versus

Central Public Information Officer
Ministry of Law & Justice
Department of Legal Affairs
Shastri Bhawan
NEW DELHI – 110001 — Respondent

Date: 29.05.2014

ORDER

The appellant has filed an appeal on 10.4.2014 received on 22.4.2014 under Section 19 of the RTI Act for not getting the information furnished by the CPIO, the respondent vide letter N0. 21(273)/2014 dated 23.4.2014.

Brief facts of the case:

1. The appellant vide his application dated 10.3.2014 received on 18.03.2014 sought information relating to Additional Standing Government Counsel.

2. The respondent has collected the information from the concerned sections of this Ministry and sent the reply to the appellant vide letter No. 21(273)/2014-IC dated 24.3.2014.

3. Being aggrieved with the information of the respondent the appellant has filed an appeal received on 22.4.2014.

4. I undersigned have been appointed as Appellate Authority in the matter on. After perusal of the facts of the case it appears that no hearing is required in this matter.

Observation

5. On perusal of the record it appears that the information furnished by the respondent vide letter dated 24.3.2014 is the substantive response for the information asked by the application in his original application dated 10.3.2014.

6. I have assessed the facts and circumstances of the case and come to the conclusion that the CPIO, the respondent has acted as per provisions of Act. In view of keeping the principles of natural justice the appeal is rejected.

7. The appellant may kindly note that since the proceeding has been closed, no further hearing may be conducted in this matter. Moreover, if there is any grievance against the order of the Appellate Authority, he may file second appeal before the Hon'ble CIC sitting at 2nd Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi 110066(within 90 days) i.e period as prescribed under the provision of RTI Act, 2005.

29/5/14

(DR. GITA RAWAT)
Joint Secretary & Appellate Authority
Date: 29.5.2014

Copy to:

1. Shri Shishir Awasthi, Advocate, House No. 68/317, Chitwapur Pajava, Lucknow (U.P.)

2. Smt. Asha Sota, CPIO/Under Secretary, Deptt. of Legal Affairs.

यह है। कि विपक्षी द्वारा केवल वेबसाइड की जानकारी दी गई है। जबकि अपीलार्थी ने जिला एवं सत्र न्यायालय लखनऊ में भारत सरकार द्वारा नियुक्त सभी प्रकार के वकीलों की सूची नाम पता एवं बार कौंसिल का रजिस्ट्रेशन नम्बर सहित माँगा था। इस प्रकार विपक्षी द्वारा दी गयी सूचनाओं से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उल्लंघन हो रहा है। और जानबूझकर अपीलार्थी को सूचना नहीं प्रदान करायी जा रही है। विपक्षी द्वारा दी गयी सूचना उपरोक्त अपील के साथ संलग्नक संख्या दो के रूप में संलग्न है।

3- यह कि अपीलार्थी को सूचनाएँ प्रदान कराये जाने के लिए विपक्षी को व्यक्तिगत रूप से तलब किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

4- यह कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में यह कहीं नहीं वर्णित है कि अपीलार्थी वेबसाइड की जानकारी मांगे व वेबसाइड की जानकारी दी जाये। और चाही गयी सूचना नहीं प्रदान करायी जाये इस प्रकार विपक्षी ने सूचना न देकर के वेबसाइड की जानकारी दी है। जो की अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र में मांगी गयी सूचना से भिन्न विषय है। इस प्रकार विपक्षी ने सूचना न देकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उल्लंघन किया है।

अतः आप से प्रार्थना है कि उपरोक्त प्रथम अपील अपने कार्यालय में पंजीकृत करके विपक्षी को अपने समक्ष व्यक्तिगत रूप से तलब करके दण्डित करते हुए चाही गयी सूचनायें प्रदान कराने की कृपा करें।

दिनांक -10.4.14

अपीलार्थी
शिशिर अवस्थी (हस्ताक्षर)

संलग्नक – 1

सेवा में,

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी
कार्यालय सचिव विधि एवं न्यायमंत्रालय भारतसरकार
नई दिल्ली।

महोदय,

प्रार्थी जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आप से निम्न बिन्दुओ के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहता है –

1- यह कि प्रार्थी जिला एवं सत्र न्यायालय लखनऊ में नियुक्त अतिरिक्त केन्द्र सरकार के स्थायी अधिवक्ता (Additional Centeral Goverment Standing Counsel) की सूची प्रार्थी प्राप्त करना चाहता है।

2- यह कि उपरोक्त अधिवक्ताओं को नियुक्त किये जाने से सम्बन्धित जारी किये गये पत्रों की छाया प्रति एवं सेवा शर्तो की छाया प्रति प्रार्थी प्राप्त करना चाहता है।

3- यह कि आप के अधीनस्थ जनपद न्यायालय, लखनऊ में नियुक्त केन्द्र सरकार के स्थायी अधिवक्ताओं के कार्यभार ग्रहण करने एवं उनको कितनी रिटेनर फीस एवं अन्य फीस दी जाती है। प्रार्थी सम्बन्धित प्रक्रिया की नियमावली की छाया प्रति प्राप्त करना चाहता है।

4- यह कि आज तक उपरोक्त प्रकार के अधिवक्ताओं को कितनी फीस भुगतान की गयी है। सभी अधिवक्ताओं की जानकारी प्रार्थी अलग-अलग रूप में प्राप्त करना चाहता है।

5- यह कि आप के द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय में कितने प्रकार के अधिवक्ताओं की नियुक्ति होती है। लखनऊ जनपद में सभी प्रकार के नियुक्त वकीलों की सूची नाम पता व बार कौंसिल रजिस्ट्रेशन नं० एवं वर्ष सहित प्रार्थी प्राप्त करना चाहता है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु सं० – 1 से 5 तक की सूचना शपथ सहित स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से देने की कृपा करें।

प्रार्थी

संलग्नक -2

स्पीड पोस्ट से
सूचना के अधिकार का मामला

फा0 सं0 21(273)/2014-आई0सी0
भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
कार्यान्वयन कक्ष

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 24-03-2014

सेवा में,

श्री शिशिर अवस्थी
अधिवक्ता
म0स0 68/317 छितवापुर पाजावा
लखनउ
उत्तर प्रदेश ।

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना उपलब्ध कराना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक 10.03.2014 के पत्र (विभाग में दिनांक 18.03.2014 को प्राप्त हुआ) के संबंध में संबंधित अनुभाग से प्राप्त जानकारी अनुलग्नक 'क' सलग्न है ।

2. डा0 गीता रावत, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार, विधि कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, कमरा सं0 408, 'ए' विंग, चौथा तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001, दूरमाष सं0 23384777 प्रथम अपील प्राधिकारी हैं । प्रथम अपील दायर करने के लिए परिसीमा की अवधि 30 दिन है ।

भवदीय,

(के गिम खन थंग)
उप-सचिव केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
दूरभाष 23384706

संलग्नः यथोक्त

उप(विधि) स.

FTS - 155/Judl/2014

RTI Matter

Most Immediate

Time Bound

F.No. 44(5)/2014-Judl.
Ministry of Law and Justice
Department of Legal Affairs
Judicial Section

Sub: Information sought by Shri Shishir Awasthi under RTI Act-regarding.

FR is an O.M 21(273)/2014-IC dated 18.03.2014 received from Shri P.R. Ramanathan, Section Officer, I.C. alongwith a copy of application dated 10.3.2014 regarding information sought for by Shri Shishir Awasthi, 68/317, Chhitwapur, Lucknow.

2. **The reply to the queries of Shri Shishir Awasthi is as under: -**

1. The list of Additional Standing Govt. Counsel for Distt/Sub. Courts, Lucknow is available on the website of this Department i.e. www.lawmin.nic.in/legal affairs.
2. The engagement order and terms and conditions governing the engagement of Additional Standing Govt. Counsel is available on the website of this Department i.e. www.lawmin.nic.in/legal affairs.
3. Standing Govt. Counsels for Distt/Sub. Courts are paid retainer of Rs. 4000/- pm. No other fees is paid to them by this Department.
4. No such information is maintained in Judicial Section.
5. Standing Govt. Counsel and Additional Standing Govt. Counsel are appointed for Distt/Sub. Courts. The names and addresses of empanelled advocates for District Lucknow are available on the website of this Department i.e. www.lawmin.nic.in/legal affairs.

3. The above information appears not to be barred under RTI Act.

4. **If approved, the above information may be provided to the applicant through the CAPIO.**

21/3/14

21/3/14

SO(J)

ALA (J)

21.3.14

S.O.(J)

21/3/14

Imp. Cell